एक नजर में

क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं गिरोह

ग्वालियर, 11 जून। जमीन में दबे खजाने को निकालने के लिए क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गिरोह सक्रिय हो गए हैं। जो रात भर जनवा या सयाने द्वारा बताए गए स्थानों पर खुदाई कर जमीन के नीचे दबे हुए खजाने को निकालने का प्रयास करते हैं।

खजाने के लिए दफीना माफिया पुराने मंदिर और संरक्षित स्मारकों को निशाना बना रहे हैं। जिसका ताजा उदाहरण ईटमा गांव में देखने को मिला। जहां एक प्राचीन शिव मंदिर पर दफीना माफियाओं ने धावा बोल दिया और रातभर खजाना निकालने के लिए जेसीबी मशीन चलाकर गड्ढे किए गए। इन माफियाओं ने धन के लालच में प्राचीन मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया है। भितरवार क्षेत्र में दफीना माफिया कई दिनों से सक्रिय है। अलग अलग गिरोह माफिया शाम होते ही इन ऐसे स्थान को चिन्हित करने निकल जाते हैं जहां खजाना दवा होने की संभावना होती है। रात के अंधेरे में भारी भरकम मशीनों की सहायता से खुदाई करते हैं।

फुलवारी-देवेन्द्रनगर रेलखंड का निरीक्षण

सतना, 11 जून. पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर मंडल में नई रेल लाइन परियोजना ललितपुर-सिंगरौली (541 किमी) के अंतर्गत फुलवारी से देवेन्द्र नगर के मध्य निर्मित लगभग 7 किलोमीटर लंबे नवीन रेल खंड का मध्य वृत (मुंबई) के रेल संरक्षा आयुक्त गुरू प्रकाश द्वारा विस्तृत संरक्षा निरीक्षण एवं गति परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया. निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा फुलवारी स्टेशन पर निर्माण संगठन एवं जबलपुर मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर परियोजना से संबंधित अभिलेखों एवं संरक्षा दस्तावेजों का परीक्षण किया गया.

रेत माफिया पर पुरानी छावनी में छापा

ग्वालियर। माइनिंग विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में दबिश देकर अवैध रेत के फड़ पर छापामार कार्रवाई की। जिले में लंबे समय से अवैध रेत परिवहन और भंडारण की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं।

युवाओं के विकास पर रहेगा जोर

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सीएम डॉ. यादव ने कहा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 11 जून. प्रदेश को नक्सलवाद का खात्मा केंद्र सरकार द्वारा तय की गई समय-सीमा से पहले करने में सफलता मिली है. प्रदेश के जो क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित थे, वहां विकास की गति तेज की जाएगी। युवाओं के विकास पर विशेष रूप से जोर रहेगा.

यह बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गुरूवार को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कही. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मप्र में सभी वर्गों के विकास के लिए किए जा रहे विशेष प्रयत्नों से अवगत करवाया.मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि काउंसिल की बैठक में विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों की साझी भागीदारी, समन्वित प्रयासों तथा विकास के विभिन्न आयामों पर व्यापक और सार्थक चर्चा हुई है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश भी विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए सुशासन, समावेशी विकास, नवाचार और जनकल्याण के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है.

> मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में जानकारी दी कि प्रदेश में बहनों और बेटियों की उन्नति, कृषक कल्याण, नए मेडीकल कॉलेजों के माध्यम से उपचार कार्य को गुणवत्तापूर्ण बनाते हुए बेहतर कार्य हो रहा है. इसी तरह आरोग्य मंदिर सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में भी मप्र अग्रसर है. नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयन की तैयारी की गई है. पीएमश्री महाविद्यालयों के माध्यम से युवाओं को अनेक संकायों और विषयों के अध्ययन से जोड़ा गया है. कौशल विकास और औद्योगिकीकरण के प्रयास तेज हुए हैं. देश में सबसे पहले पीएम मित्र पार्क की धार जिले में स्थापना हुई है, यहां शीघ्र ही इकाइयों द्वारा रिकार्ड समय में कार्य प्रारंभ हो रहा है. भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के वेस्ट को निष्पादित करने के साथ ही प्रदेश में जनकल्याण की दृष्टि से अनेक नए कार्य प्रारंभ करने पर ध्यान दिया जा रहा है.

117 कॉलेजों की संबद्धता पर लगी जेयू कार्यपरिषद की मुहर

ग्वालियर. जीवाजी विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक कुलगुरु प्रो. राजकुमार आचार्य की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक में 117 सामान्य, मैनेजमेंट, बीएड और एमएड कॉलेजों की संबद्धता से जुड़े मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. कार्यपरिषद ने उन सभी कॉलेजों की संबद्धता को मंजूरी दे दी, जिनमें निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की कमी नहीं पाई गई. बैठक में यह भी तय किया गया कि जिन कॉलेजों के प्रकरण स्थायी समिति द्वारा होल्ड या अमान्य किए गए हैं, वे निर्धारित कमियों को दूर कर आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना प्रतिवेदन डीसीडीसी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे.

भाजपा के पूर्व मंत्री को फिर मिली गोली मारने की धमकी

जबलपुर, 11 जून. मप्र शासन के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को मोबाइल फोन पर गोली मारने की धमकी मिली है। गोरखपुर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू 65 वर्षीय निवासी मदनमहल चौक, गुप्तेश्वर ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर बताया कि 8 जून की शाम करीब 7:9 बजे वह कार से गोरखपुर बाजार की तरफ जा रहे थे. जब उनकी कार कटंगा तिराहा के पास पहुंची, तभी उनके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया. फोन उठाते ही सामने वाले व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद पूर्व मंत्री ने तुरंत फोन काट दिया. पुलिस ने पूर्व मंत्री की शिकायत पर अज्ञात धारक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है. पुलिस की साइबर सेल टीम मोबाइल नंबर को ट्रेस कर आरोपी की तलाश में जुट गई है.

डेढ़ महीने में दूसरी बार मिली धमकी, सुरक्षा की मांग: पूर्व मंत्री ने बताया कि वह इस नंबर के धारक को नहीं जानते हैं. उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए पुलिस को बताया कि करीब डेढ़ महीने पहले भी उन्हें इसी तरह जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसकी उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी. डेढ़ महीने के भीतर दोबारा धमकी मिलने से उनकी सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है. बब्बू पिछले 25 वर्षों से पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी और विधायक रहे हैं.

अखिल भारतीय व प्रादेशिक कृति पुरस्कार कैलेंडर वर्ष 2024 के पुरस्कारों की घोषणा

भोपाल. साहित्य अकादमी, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद्, मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग, भोपाल द्वारा अखिल भारतीय एवं प्रादेशिक कृति पुरस्कार कैलेण्डर वर्ष 2024 के पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है. अखिल भारतीय प्रति पुरस्कार 1,00,000 रुपये एवं प्रादेशिक प्रति पुरस्कार 51,000 रुपये के साथ शॉल, श्रीफल, स्मृति चिह्न और प्रशस्ति के साथ रचनाकारों को अलंकृत किया जाता है. साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. विकास दवे ने बताया कि अधिकांश पुरस्कारों हेतु दो श्रेष्ठ कृतियों को संयुक्त रूप से जूरी द्वारा चयनित किया गया है.

अखिल भारतीय कृति पुरस्कार

पं. माखनलाल चतुर्वेदी (निबंध) डॉ. शकुंतला कालरा-दिल्ली, गजानन माधव मुक्तिबोध (कहानी) चरणसिंह अमी-इंदौर, राजा वीरसिंह देव (उपन्यास) डॉ. वीणा सिन्हा-भोपाल एवं सुयश त्यागी-भोपाल, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल (आलोचना) पवन विजय-गाजियाबाद एवं लहरी राम मीणा-वाराणसी, पं. भवानी प्रसाद मिश्र (गीत एवं हिन्दी गजल) सुशील साहिल-गोंडा एवं शैलेन्द्र पाण्डेय-सरायकेला, अटल बिहारी वाजपेयी (कविता) अजीत कुमार पुरी-दिल्ली एवं डॉ. कौशल दुबे-जबलपुर, कुवेरनाथ राय (ललित निबंध) संजीव शर्मा-भोपाल एवं संजय सक्सेना-राजगढ़, विष्णु प्रभाकर (आत्मकथा-जीवनी) पं. कमलकांत शर्मा-दतिया एवं मनीष कुमार पाटीदार-महेश्वर, निर्मल वर्मा (संस्मरण) रवीन्द्र कुमार दुबे-इंदौर एवं ऋचा दीपक कर्पे-देवास, महादेवी वर्मा (रेखाचित्र) डॉ. प्रीति खरे-भोपाल एवं अशोक पटेल-शहडोल, प्रो. विष्णुकांत शास्त्री (यात्रा-वृत्तांत) डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी-जयपुर एवं डॉ. शिव कुमार व्यास-जबलपर, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (अनुवाद) डॉ. श्रीनिवास शुक्ल 'सरस'-सीधी, एवं डॉ. दंतू मुरली कृष्ण-भोपाल, नारद मुनि (फेसबुक/ब्लाग/नेट) मनोज जैन मधुर-भोपाल एवं कृष्णमुरारी त्रिपाठी 'अटल'-रायपुर को दिया गया है.

प्रादेशिक कृति पुरस्कार

वृन्दावन लाल वर्मा (उपन्यास) ब्रजेश राजपूत-भोपाल एवं गीता शुक्ला गीत-रीवा, सुभद्रा कुमारी चौहान (कहानी) सूर्यकांत नागर-इंदौर एवं कला जोशी-इंदौर, श्रीकृष्ण सरल (कविता) राजेंद्र कोचला अम्बर-इंदौर गोकुल प्रसाद सोनी-भोपाल, आचार्य नंददुलारे वाजपेयी (आलोचना) रमण रावल-इंदौर एवं डॉ. सांत्वना श्रीकांत-भोपाल, हरिकृष्ण प्रेमी (नाटक) विजय 'बेशर्म'-गाडरवाड़ा एवं विवेक रंजन श्रीवास्तव-भोपाल, राजेन्द्र अनुरागी (डायरी) डॉ. अभय अरविन्द बेडेकर-अलीराजपुर, पं. बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' (प्रदेश के लेखक की पहली कृति) जवाहर कर्णावत-भोपाल एवं डॉ. राकेश सिंघई-इंदौर, ईसुरी (लोकभाषा विषयक) अर्चना मण्डलोई-इंदौर एवं सौरभ लाड़-इंदौर, हरिकृष्ण देवसरे (बाल साहित्य) राजा चौरसिया-कटनी एवं नीना सिंह सोलंकी-भोपाल, नरेश मेहता (संवाद, पटकथा लेखन) डॉ. मीनाक्षी दुबे-भोपाल, जैनेन्द्र कुमार 'जैन' (लघुकथा) देवेन्द्र सिंह सिसोदिया-इंदौर एवं डॉ. यशोधरा भटनागर-देवास सेठ गोविन्द दास (एकांकी) डॉ. साधना शुक्ला-भोपाल एवं अभिमन्यु जैन-जबलपुर, प्रादेशिक शरद जोशी (व्यंग्य) सुधीर देशपाण्डे-खण्डवा एवं डॉ. सौरभ जैन-इंदौर, वीरेन्द्र मिश्र (गीत) सुश्री मीरा भार्गव 'सुदर्शना'-कटनी एवं अमन अक्षर-मून्दी, दुष्यंत कुमार (गजल) वृन्दावन राय सरल-सागर एवं हरिवल्लभ शर्मा 'हरि'-भोपाल को दिया गया है

लापरवाही के आरोप में सबलगढ़ थाना प्रभारी राजकुमारी परमार निलंबित

मुरैना, 11 जून. जिले में सबलगढ़ थाना प्रभारी राजकुमारी परमार को ड्यूटी में कथित लापरवाही के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पुलिस लाइन से संबद्ध कर दिया गया है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने यह कार्रवाई अवैध रेत खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पाने, जुआ फड़ों के विरुद्ध अपेक्षित कार्रवाई नहीं करने तथा प्रशासनिक अधिकारियों को पर्याप्त सहयोग नहीं देने संबंधी शिकायतों के आधार पर की है. सूत्रों ने बताया कि जिले में इन दिनों अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है.

आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा की जमानत पर फैसला सुरक्षित

जबलपुर, 11 जून. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने बहुचर्चित आरटीओ भ्रष्टाचार व मनी लान्ड्रिंग मामले के आरोपी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की 60 दिन की अस्थायी जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है. न्यायालय ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त निर्देश दिये.

दरअसल सौरभ शर्मा ने पत्नी की प्रस्तावित सर्जरी और दो नाबालिग बच्चों की देखभाल का हवाला देते हुए 60 दिन की अस्थायी जमानत मांगी है. याचिका में कहा गया है कि पत्नी दिव्या तिवारी को नाक संबंधी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं और आपरेशन के दौरान उनकी देखभाल के लिए पति की उपस्थिति आवश्यक है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले जिला अदालत और हाईकोर्ट दोनों उसकी नियमित जमानत अर्जियां निरस्त कर चुके हैं.

डूबने से तीन मासूमों की मौत

टीकमगढ़, 11 जून. जिले के अस्तौन क्षेत्र से एक बेहद दुखद और हृदय विदारक घटना सामने आई है. जहां सिद्ध सागर तालाब में एक नावालिग नहाने के दौरान डूबने लगा तो वहां आस-पास मौजूद तीन नावालिग बच्चे अचानक तालाब में कूदे और उसे बचाने का प्रयास किया जहां तीनों नावालिग अपनी जिंदगी से हार गए जबकि जिस नावालिग को बचाने यह कूदे थे उसे सकुशल बचा लिया गया है.

इस हादसे के बाद पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. खबर लगते ही पुलिस एवं प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा. पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पीएम के लिए भेजा.

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम अस्तोन की पुलिस चौकी के समीप सिद्ध सागर तालाब में एक 13 वर्षीय देव नहा रहा था जैसे ही वह डूबने लगा तो वहां मौजूद तीनों मासूम प्रिंस अहिरवार 11, दीपेश अहिरवार 10 और राज अहिरवार 12 उसे बचाने लिए तालाब में कूद पड़े जिसमें उन्होंने देव को तो बचा लिया लेकिन उन तीनों की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई.

रीडर बीस हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

ग्वालियर। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो पुलिस (ईओडब्ल्यू) ने आज ग्वालियर कलेक्ट्रेट के एक तहसीलदार के रीडर को 20 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये दबोचा है। रीडर ने 40 हजार रूपये की रिश्वत मांगी थी।

ईओडब्ल्यू की कार्रवाई, रिश्वत में 40 हजार मांगे थे

ग्वालियर के ईओडब्ल्यू एसपी दिलीप सिंह तोमर ने बताया कि जितेन्द्र पांण्डेय निवासी किलागेट घासमंडी ने शिकायत की थी कि तहसीलदार कार्यालय गोसपुरा का रीडर अनिल कुडवारिया उसके एक प्लाट के नामान्तरण करवाने के लिये 40 हजार रूपये मांग रहा है। इसके बाद ईओडब्ल्यू पुलिस ने शिकायत की मांग की पुष्टि की और एक ट्रेप दल टीआई शैलेन्द्र सिंह कुशवाह के नेतृत्व में गठित कर आज कार्रवाई को अंजाम दिया। जैसे ही कलेक्ट्रेट में आवेदक जितेन्द्र पांण्डेय ने रीडर अनिल कुडवारिया को 20 हजार रूपये दिये तुरंत उसे दबोच लिया गया। आरोपी अनिल कुडवारिया के हाथ रासायनिक घोल से धुलवाये तो धोल का रंग गुलाबी हुआ जिसके बाद रिश्वत लेने की पुष्टि भी हुई। ईओडब्ल्यू पुलिस ने रिश्वत लेने वाले रीडर अनिल कुडवारिया पर धारा 7, भ्र.नि.अ. 1988 संशोधित अधिनियम 2018 के तहत मामला दर्ज किया है.

मंत्री करण वर्मा ने सुनीं समस्याएं

भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं से किया संवाद

भोपाल, 11 जून । मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेशभर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजनों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

मंत्री वर्मा ने कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना। जिन मामलों का मौके पर समाधान संभव था, उनका तत्काल निराकरण कराया गया, जबकि अन्य प्रकरणों को संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है।

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करना लोकतंत्र पर हमला : गेहलोत

नवभारत न्यूज

सैलाना। जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश कांग्रेस महासचिव हर्षविजय गेहलोत ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन पत्र निरस्त किए जाने की कड़ी निंदा करते हुए इसे सुनियोजित और अलोकतांत्रिक कदम बताया है।

जारी बयान में गेहलोत ने कहा कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रख रही है। यह तानाशाही की पराकाष्ठा है और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास है, जिसका कांग्रेस पूरी ताकत से विरोध करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सरकार विधायकों की खरीद-फरोख्त में सफल नहीं हुई तो इस प्रकार का घिनौना कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि यह अलोकतांत्रिक कृत्य लंबे समय तक याद रखा जाएगा। देश और प्रदेश की जनता सब देख रही है तथा समय आने पर लोकतांत्रिक ताकतें इसका जवाब देंगी।गेहलोत ने कहा कि वर्तमान माहौल में असहमति को विरोध मान लिया जाता है और उसे दबाने के लिए सत्ता किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखाई देती है। लोकतंत्र में सभी का हर बात पर सहमत होना संभव नहीं है और असहमति लोकतंत्र की मूल भावना है।

> **न्याय मिलने का विश्वास जताया**
>
> गेहलोत ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्तीकरण के मामले को चुनाव आयोग तथा आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में भी ले जाया जाएगा। कांग्रेस सभी कानूनी और लोकतांत्रिक विकल्पों पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, 'हम चुप नहीं बैठ सकते। लोकतंत्र से छेड़छाड़ करने वाली सत्ता हमें स्वीकार नहीं है। न हम ऐसा करेंगे और न किसी को करने देंगे। इस प्रकार के कृत्य का राजनीतिक खामियाजा भाजपा को समय आने पर भुगतना पड़ेगा।'

बयानबाजी कांग्रेस विधायक सतीश ने मीनाक्षी का नामांकन रद्द होने पर कहा...

भाजपा जहरीला सांप है किसी को भी डस सकती है

ग्वालियर, 11 जून. राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र निरस्त होने पर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जहरीला सांप बताया है, जो किसी को भी डस सकता है. विधायक सिकरवार ने अपनी ही पार्टी को सलाह दी है कि दूध के जले को हमेशा छांछ भी फूंक फूंककर पीना चाहिए.

ग्वालियर पूर्व के कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का कहना है कि भाजपा में किसी की नैया पार नहीं लगी है. भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है. यह सीधे तौर पर लूट है यह चोरी है, जो काम रात के अंधेरे में अपराधी और गुंडे करते थे, वह काम दिनदहाड़े बीजेपी के क्रिमिनल विचार के लोग कर रहे हैं. यह लोकतंत्र की हत्या है संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो राम की बात करते हैं वह रावण जैसा काम कर रहे हैं. आने वाले समय में रावण का जैसा हश्र हुआ वैसा भारतीय जनता पार्टी का हश्र होगा. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रलोभन में कोई भी कांग्रेस का विधायक नहीं आया तो उन्होंने इस तरह का हथकंडा अपनाया. भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद हर तरह से सत्ता में बनी रहना चाहती है, पद हथियाना चाहती है. यह बीजेपी का क्रिमिनल दिमाग वाला नेचर है. विधायक सिकरवार ने उस कहावत पर भी जोर दिया जिसमें कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है. उन्होंने अपनी ही पार्टी को सलाह दी है और कहा है कि जिस प्रकार भाजपा छल कपट और सरकार गिराने और बनाने का काम कर रही है.

ड्यूटी पर जा रहे पुलिस जवान को बदमाशों ने सरेराह घेरकर पीटा

जबलपुर, 11 जून. गोरखपुर थाना अंतर्गत आईजी कार्यालय की महिला सुरक्षा शाखा में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक को बदमाशों ने रास्ते में रोककर न सिर्फ बेरहमी से पीटा, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, हाउबाग स्टेशन दुर्गा कन्याशाला स्कूल के पास के रहने वाले 47 वर्षीय सविनय लोधी जबलपुर आईजी कार्यालय की महिला सुरक्षा शाखा में प्रधान आरक्षकके पद पर तैनात हैं.

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में सरफेसी अधिनियम के रूप में संदर्भित) नियमावली, 2002 (संक्षेप में नियम के रूप में संदर्भित) के तहत शक्तियों के प्रयोग में और सुरक्षित ऋणों की वसूली के लिए उक्त सरफेसी अधिनियम और नियमों के तहत अधिकृत अधिकारी के पास निहित इसके बाद नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं की सुरक्षित संपत्ति के कब्जे के अनुसरण में, अधिकृत अधिकारी ने नीलामी बिक्री द्वारा सुरक्षित संपत्ति को बेचने का निर्णय लिया है. इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता, बंधककर्ताओं और गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि फीनिक्स ट्रस्ट FY26-14 (फीनिक्स) के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहे फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (जिसे पहले फीनिक्स एआरसी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), पंजीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, वालेस टावर्स, 139/140/बी/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का क्रॉसिंग, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई- 400057 के पास बंधक रखी गई नीचे उल्लिखित संपत्ति (दिनांक 29.12.2025 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से फीनिक्स के पक्ष में आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा ऋणों के असाइनमेंट के अनुसरण में) को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के नियमों के तहत देय राशि और आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है जो कुछ भी है' और 'बिना किसी सहारे की स्थिति में' के आधार पर 'ऑनलाइन ई-नीलामी' के माध्यम से बेचा जाएगा. बिक्री नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइट: www.iiflonehome.com पर प्रदान किए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
श्रीमती मुन्नी बाई श्री नितिन खोड़े श्रीमती दीपमाला (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10045456)	26/07/2022 रु. 1332604/- (रु. तेरह लाख बत्तीस हज़ार छह सौ चार मात्र) **बोली वृद्धि राशि** रु. 25000/- (रु. पच्चीस हज़ार मात्र)	प्रॉपर्टी का वह पूरा हिस्सा जिसमें शामिल हैं: प्लॉट नंबर 41 का नॉर्थ पार्ट, खसरा नंबर 847/2/4, वार्ड नंबर 12, पालक सिटी कॉलोनी ग्राम तेलखेड़ी, नगर पंचायत महूगांव, तहसील महू, जिला इंदौर, इंदौर, मध्यप्रदेश, भारत-453441 एरिया (वर्गफीट): प्रॉपर्टी टाइप लैंड_एरिया, बिल्ट_अप_ एरिया प्रॉपर्टी एरिया - 500.00, 600.00	12/1/2026 कुल बकाया राशि दिनांक 31/05/2026 तक रु. 1399744.76/- (रु. तेरह लाख निन्यानवे हजार सात सौ चवालीस और पैसा छिहत्तर मात्र)	रुपये 1700000/- (रु. सत्रह लाख मात्र) **बयाना जमा (ईएमडी)** रुपए 170000/- (रु. एक लाख सत्तर हजार मात्र)
श्री सुमित शर्मा श्रीमती सूरज डावर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10264193)	23/04/2025, रु. 811397/- (रु. आठ लाख ग्यारह हज़ार तीन सौ सत्तानवे मात्र) **बोली वृद्धि राशि** रु. 20000/- (रु. बीस हज़ार मात्र)	प्रॉपर्टी का वह पूरा हिस्सा जिसमें शामिल हैं: प्लॉट नंबर 198, एरिया - 300 वर्गफीट मदन विहार एक्सटेंशन, महू, इंदौर-452001 भारत. एरिया (वर्ग फीट में): प्रॉपर्टी टाइप: लैंड_एरिया, कारपेट_ एरिया प्रॉपर्टी एरिया: 300.00, 450.00.	21/4/2026 कुल बकाया राशि दिनांक 02/06/2026 तक रु. 866951.92 (रु. आठ लाख छियासठ हजार नौ सौ इक्यावन और पैसा बानवे मात्र)	रुपये 922500/- (रु. नौ लाख बाइस हजार पांच सौ मात्र) **बयाना जमा (ईएमडी)** रुपये 92250/- (रु. बानवे हजार दो सौ पचास मात्र)

संपत्ति निरीक्षण दिनांक	ईएमडी की अंतिम दिनांक	ई-नीलामी दिनांक/समय
8/7/2026 11.00-14.00 बजे	10/7/2026 के 5.00 बजे तक	13/7/2026 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका:- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https://www.iiflonehome.com पर जाना होगा और संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध भुगतान लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा. **नोट:-** प्रत्येक संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उसी संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं, जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं. **शेष भुगतान के लिए - लॉगिन करें https://www.iiflonehome.com > (My Bid) > (Pay Balance Amount)**

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://www.iiflonehome.com पर अग्रिम रूप से अपना विवरण पंजीकृत करना होगा और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को भागीदारी से पहले ईएमडी का भुगतान जमा करना होगा. भुगतान के बाद, बोलीदाताओं को अपने आधार नंबर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित ई-टेंडर फॉर्म/बोली फॉर्म (ई-साइन) जमा करना आवश्यक है.
2. बोलीदाता कॉलम 'बोली वृद्धि राशि' के तहत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करेंगे. यदि नीलामी के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली लगाई जाती है, तो समापन का समय स्वचालित रूप से 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर बोली राशि का 25% (ईएमडी को समायोजित करने के बाद) जमा करना होगा और बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान मोड में होने चाहिए.
4. खरीदार को उपकर, लागू स्टांप शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक देय राशि या अन्य देय राशि जैसे कि नगर निगम कर, भूमि के हस्तांतरण या ट्रांसफर से जुड़ी लागतें और संपत्ति से संबंधित करों और दरों सहित अन्य सभी आकस्मिक लागतें, शुल्क वहन करने होंगे.
5. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करने से पहले विस्तृत नियमों और नीलामी बिक्री की शर्तों एवं नीलामी आवेदन पत्र के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com पर जाएं.
6. विवरण, सहायता प्रक्रिया और ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए इच्छुक बोलीदाता सेवा प्रदाता से ई-मेल आईडी- care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर: @ 1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
7. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 09.30 बजे से शाम 18.00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं या care@iiflonehome.com / customercare.retail@phoeni&arc.co.in पर ई-मेल कर सकते हैं.
8. उपरोक्त उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे भौतिक कब्जा लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में रखी घरेलू वस्तुओं को 7 दिनों के भीतर एकत्र कर लें, अन्यथा फीनिक्स एआरसी लिमिटेड किसी भी परिस्थिति में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी.
9. इसके अलावा उधारकर्ता/ओं को नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त वस्तुओं को एकत्र करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
10. सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी भी चरण में भुगतान में चूक के मामले में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी, और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को दोबारा बिक्री के लिए रखा जाएगा.
11. एओ बिना कोई कारण बताए टेंडर/नीलामी के नियमों और शर्तों को स्थगित/रद्द करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. टेंडर/नीलामी में किसी भी विवाद के मामले में, फीनिक्स एआरसी लिमिटेड के एओ का निर्णय अंतिम होगा.
12. ईएमडी के बिना प्राप्त बोलियों/टेंडरों को अमान्य माना जाएगा. ईएमडी को टेंडर खुलने/नीलामी की तारीख से 30 दिनों के भीतर वापस कर दिया जाएगा. बोलीदाता किसी भी कारण से ईएमडी पर कोई ब्याज पाने के हकदार नहीं होंगे.
13. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से ई-नीलामी के लिए बोली लगाने में भाग ले सकते हैं. इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित स्वयं बोलीदाता को करनी होगी. फीनिक्स एआरसी लिमिटेड/ सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश होने, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.
14. कुल बकाया राशि ऋण बंद करने की राशि नहीं है. अन्य सभी शुल्कों (यदि कोई हो) की गणना ऋण बंद करने के समय की जाएगी.
15. बोलीदाता को एतद् द्वारा सावधान किया जाता है कि हमारी वेबसाइट https://www.iiflonehome.com में बोली के आवेदन के समय दर्ज किया गया नाम ही अंतिम होगा और बिक्री प्रमाण पत्र के साथ उच्चतम बोली पत्र बिना किसी अपवाद के उसी नाम से पंजीकृत किया जाएगा.
16. फीनिक्स एआरसी लिमिटेड सर्वोत्तम प्रस्ताव का निर्णय करेगी और निविदाएं खोलने के बाद बोलीदाताओं के साथ बातचीत करने का अधिकार और विवेक सुरक्षित रखती है और प्रस्ताव में सुधार के लिए उच्चतम बोली प्राप्त करने के बाद भी अंतर-बोली की अनुमति देने और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है. टेंडर/नीलामी/ई-नीलामी विफल होने की स्थिति में, फीनिक्स एआरसी लिमिटेड कानून के अनुसार निजी समझौते के माध्यम से संपत्ति बेचने का अधिकार सुरक्षित रखती है.
17. इच्छुक बोलीदाताओं को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे बोली लगाने से पहले निरीक्षण, शीर्षक और भार सहित संपत्ति के संबंध में अपनी स्वतंत्र उचित सावधानी बरतें.
18. रख-रखाव शुल्क, बिल्डर या सोसायटी देय राशि, संपत्ति कर, उपयोगिता शुल्क और कोई अन्य वैधानिक या गैर-वैधानिक देय राशि, चाहे इस नोटिस के समय ज्ञात हो या अज्ञात हो, सहित संपत्ति के प्रति कोई भी और सभी शुल्क, देनदारियां, या दायित्व पूरी तरह से सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे.

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 30 दिनों का बिक्री नोटिस

उधारकर्ता को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे टेंडर/नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और प्रासंगिक खर्चों के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष देय राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल की जाएगी.

स्थान: इन्दौर
दिनांक: 12-जून-2026

हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी
फ़ीनिक्स एआरसी लिमिटेड